न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : श्री चन्द्रभान सिंह भाटी, आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी संख्या : 118/2012

आरसीएमएस नम्बर : 2012/00191

प्रार्थीगण :–	बनाम	अप्रार्थीगण :–
1. नाथूसिंह पुत्र वेजादान 2. जीवनसिंह पुत्र सोनदान 3. गजेन्द्रसिंह पुत्र कल्याणसिंह 4. भवानीसिंह पुत्र प्रतापसिंह 5. कुलदीपसिंह पुत्र रामसिंह निवासीगण नौख, ग्राम पंचायत रायपुर कला, तहसील रायपुर जिला पाली (राज.)		1. कलावती देवी पत्नी प्रदीपकुमार जाति चारण निवासी नौख, तहसील रायपुर जिला पाली (राज.) 2. ग्राम पंचायत रामपुरा कला, जरिये सरपंच ग्राम पंचायत रामपुरा कला तहसील रायपुर जिला पाली (राज.)

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994

उपस्थिति :–

1. प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री श्याम पंचारिया
2. अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री हिम्मतसिंह राजपुरोहित

–: निर्णय :–

दिनांक : 9/3/2021

प्रार्थीगण की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में ग्राम नौख की मिसल संख्या 2/14/1989–90 दिनांक 15.06.1990 में पारित ग्राम पंचायत के संकल्प संख्या 6, आज्ञा दिनांक 15.06.1990 एवं इसकी पालना में जारी विक्रय विलेख संख्या 62 दिनांक 07.11.1990 को निरस्त कराने हेतु पेश की है। निगरानी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा ग्राम पंचायत का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता प्रार्थीगण ने वक्त बहस कथन किया कि ग्राम नौख में चारणों की पोल में स्थित भुमि का ग्राम पंचायत रामपुरा कलां ने मिसल संख्या 2/14/1989–90 दिनांक 15.06.1990 में पारित संकल्प संख्या 6 आज्ञा दिनांक 15.06.1990 एवं उसकी पालना में पट्टा संख्या 62 दिनांक 07.11.1990 जारी किया गया है। उक्त पट्टा ग्राम पंचायत नौख ने नियम 266 के तहत जारी किया है। जो प्रार्थीगण की सार्वजनिक चौक की भूमि पर होने से एवं जैर निगरानी आज्ञा व पट्टा पंचायत अधिनियम के प्रावधानों के विरूद्ध होने से एवं फर्जी तरीके से प्राप्त होने से प्रथम दृष्टया निरस्त योग्य है। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा आवेदन के साथ अपने पक्ष में रजिस्टर्ड वसीयतनामा प्रस्तुत किया एवं उक्त भूमि पर मौका देखने हेतु तीन पंचो को नियुक्त किया गया तथा दिनांक 05.05.1990 को असल पट्टा प्रस्तुत करने हेतु आदेश दिया गया। अनोप कंवर द्वारा अपने पक्ष में रजिस्टर्ड वसीयतनामा दिनांक 24.06.1979 की प्रति प्रस्तुत की गई तथा उसके साथ पूर्व में जारी जैर निगरानी भूमि का पट्टा जो अनोप कंवर पत्नी देवीदान चारण के नाम जारी किया हुआ, रेकर्ड पर प्रस्तुत किया गया। उक्त पूर्व पट्टे में दर्ज पड़ौस एवं वसीयतनामा में दर्ज पड़ौस की भूमि के अवलोकन

अति. जिला कलेक्टर, पाली

मात्र से यह जाहिर था कि एक सम्पति के संबंध में ग्राम पंचायत द्वारा वैधानिक दस्तावेज पारित किये जाने के बावजूद एवं उक्त भूमि के संबंध में अनोप कंवर के फर्जी बयान रेकर्ड पर लेकर उसी भूमि का दूसरा पट्टा जारी कर दिया, जो काबिल निरस्त है। अधीनस्थ ग्राम पंचायत की पत्रावली पर जो आदेशिका दिनांक 25.04.1990, 05.05.1990 व 06.06.1990 पूर्व ग्राम सेवक गजेसिंह के हस्तलिपि द्वारा लिखी गई है तथा अन्य आदेशिका दिनांक 11.06.1990 व 15.06.1990 पूर्ण रूप से फर्जी तरीके से तैयार की हुई है। पंचायत की पत्रावली पर गणेशदान एवं कल्याणसिंह के बयान दर्ज किए गए है, जो फर्जी है तथा उनके हस्ताक्षर भी फर्जी है। मिसल में आपत्तियां आमंत्रित करने का नोटिस रेकर्ड पर लिया गया, उक्त नोटिस पर न तो क्रमांक अंकित है, न ही दिनांक अंकित है तथा न ही पंचायत की मोहर अंकित है। नोटिस जिन व्यक्तियों के समक्ष चस्पा किया गया, उनकी वल्दियत पत्रावली पर अंकित नहीं है। इससे स्पष्ट है कि पंचायत ने उक्त नोटिस नियमों को ताक पर रखकर विधि विरूद्ध तरीके से जारी किया गया है। उपरोक्त समस्त तथ्यों से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत रामपुरा कलां ने एक ही भूमि के दो अलग–अलग पट्टे जारी किए है, जो पंचायती राज अधिनियम में दिए गए नियमों के विपरीत है। किसी ग्राम पंचायत द्वारा किसी भूमि का विक्रय विलेख जारी किए जाने के पश्चात, उक्त विक्रय विलेख के अस्तित्व में रहते, उक्त भूमि का दूसरा विक्रय विलेख जारी नहीं किया जा सकता है। अनोप कंवर के नाम जारी विक्रय विलेख आज भी अस्तित्व में एवं प्रभाव में है, इस कारण अप्रार्थी संख्या 1 के नाम जारी पश्चातवर्ती विक्रय विलेख Ab initio void होने से काबिल निरस्त है। अधिवक्ता प्रार्थीगण ने अपने तथ्यों की ताईद में न्यायिक दृष्टान्त पेश किए यथा WLC 2002(1) page No. 763 to 765, DNJ 2009(1) page No. 262 to 267 and WLN 2017(3) page No. 379 to 388.

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 ने वक्त बहस कथन किया कि ग्राम पंचायत रामपुरा कलां द्वारा अप्रार्थी कलावती देवी के नाम मिसल संख्या 2/14/1989–90 दिनांक 14.11.1988 दर्ज कर नियमानुसार प्रकिया का पालन करते हुए नक्शा बनाने हेतु तीन पंचो की कमेटी गठित की गई, इसके पश्चात आक्षेप आमंत्रित करने का नोटिस दिनांक 05.05.1990 को जारी किया गया। दिनांक 06.06.1990 तक कोई आपति प्राप्त नहीं होने पर, दस्तावेज एवं गवाहान पेश करने का आदेश पारित किया गया। जिस पर अप्रार्थी संख्या 1 ने दिनांक 11.06.1990 को अपने हक में किया गया वसीयतनामा पेश किया तथा वसीयतकर्ता अनोप कंवर एवं गणेशदान व कल्याणसिंह के बयान भी ग्राम पंचायत द्वारा दर्ज किये गए। इसके पश्चात ग्राम पंचायत ने पंचायती राज अधिनियम में वर्णित नियमों की पालना करते हुए, अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में विक्रय विलेख जारी किया गया है, जो नियमानुसार एवं विधिनुसार है। पंचायती राज अधिनियमों में यह स्पष्ट अंकन है कि कोई भी व्यक्ति न्यायालय में निगरानी उसी समय पेश कर सकता है, जब वह हितबद्ध पक्षकार हो, लेकिन प्रार्थीगण ने हस्तगत निगरानी मात्र अप्रार्थी संख्या 1 से द्वैष भावना रखते हुए पेश की है, उनका जैर निगरानी पट्टा भूमि से उनका किसी प्रकार से हित बाधित नहीं होता है। जैर निगरानी पट्टा अप्रार्थी संख्या 1 के नाम दिनांक 07.11.1990 को जारी किया गया है, लेकिन प्रार्थीगण द्वारा निगरानी न्यायालय में लगभग 22 वर्षो के पश्चात पेश की गई है, जो स्पष्टतया म्याद बाहर पेश की गई है। इस संबंध में अधिवक्ता प्रार्थी ने भी अपनी निगरानी याचिका में किसी प्रकार का कोई प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया है। अतः अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)

अति. जिला कलेक्टर, पाली

याचिका प्रथम दृष्टया ही म्याद बाहर होने से काबिल निरस्त है। अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 ने अपने तथ्यों की ताईद में न्यायिक दृष्टान्त पेश किए यथा High court, Jodhpur S.B. Civil writ petition No. 1411@2012 (Smt. Narangi Devi vs. District Collector Bhilwara) order dated 05-04-2012 and 2012 (2) DNJ (Raj.) page 602 Rajasthan High court (Jaipur Bench) Ramesh Chand vs Ram Charan Singh & Ors (S.B. Civil Writ Petition No. 7282 of 2005 Decided on 01-12-2012)

हमने उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। पत्रावली एवं ग्राम पंचायत के मूल रेकर्ड का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अधिवक्ता प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों का ससम्मान अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा यह निगरानी ग्राम पंचायत रामपुरा कला द्वारा मिसल संख्या 2/14/1989–1990 में पारित प्रस्ताव संख्या 6 दिनांक 15.06.1990 एवं उसकी पालना में जारी पट्टा संख्या 62 दिनांक 07.11.1990 के विरूद्ध पेश की गई है। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा सरपंच ग्राम पंचायत रामपुरा कला के समक्ष एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर ग्राम नोख की आबादी क्षैत्र में अनोपकंवर बेवा देवीदान जाति चारण निवासी नोख द्वारा वसीयतसुदा मकान का पट्टा बनाने का निवेदन किया। इस पर सरपंच ग्राम पंचायत रामपुरा द्वारा मिसल कायम कर तीन पंचो को मौका निरीक्षण हेतु नियुक्त किया तथा अप्रार्थी संख्या 1 को पूर्व में जारी पट्टा असल प्रस्तुत करने के निर्देश दिये। इसके पश्चात मिसल दिनांक 05.05.1990 को पंचायत के समक्ष प्रस्तुत हुई, जिसमें पंचो की रिपोर्ट प्रस्तुत होने के कारण 1 माह का आपत्ति इश्तिहार जारी करने के आदेश दिये गये। इसके पश्चात दिनांक 06.06.1990 को आपत्ति इश्तिहार की अवधि पूर्ण होने के बावजूद किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त नही होने के कारण अप्रार्थी संख्या 1 को अपने कब्जे की ताईद में दो गवाहों को उपस्थित करने के आदेश दिये गये। इसके पश्चात दिनांक 11.06.1990 को गवाह अनोपकंवर बेवा देवीदान, कल्याणसिंह व गणेशदान के बयान कलमबद्ध किये जाकर पत्रावली वास्ते निर्णय दिनांक 15.06.1990 को प्रस्तुत करने के आदेश दिये गये। इसके पश्चात दिनांक 15.06.1990 को नियम 266 के तहत 151/– रूपये सुकराना राशि अदा करने पर अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में पट्टा जारी करने के आदेश पारित किये गये। इसके पश्चात दिनांक 07.11.1990 को सुकराना राशि पंचायत में जमा होने के कारण अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जैर निगरानी पट्टा जारी किया गया है। इस प्रकार उक्त समस्त कार्यवाही विधि में प्रदत्त प्रक्रिया अनुरूप हुई है तथा ग्राम पंचायत द्वारा जैर निगरानी पट्टा नियमानुसार प्रकिया का पालन करते हुए जारी किया है। जिसमें प्रक्रियागत त्रुटि नहीं पाई जाती है।

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 ने 2012 (2) DNJ (Raj.) page 602 Rajasthan High court (Jaipur Bench) Ramesh Chand vs Ram Charan Singh & Ors (S.B. Civil Writ Petition No. 7282 of 2005 Decided on 01-12-2012) में प्रतिपादित न्यायिक दृष्टान्त की प्रति प्रस्तुत की, जिसमें अभिनिर्धारित किया गया है कि "(A) Rajasthan Panchayti Raj Act, 1994-Sec. 97-Revision to quash the allotment order dt. 22-10-1983 and 22-09-1995-Inordinate delay of 20 years in filing revision-Revisional power should be exericised within a reasonable period-Revision filed on 21-06-2005- Held, Addl. Collector ought to have dismissed the revision on the sole ground of delay. हस्तगत प्रकरण पर स्पष्टतया चस्पा होता है। प्रार्थीगण ने हस्तगत निगरानी याचिका जैर निगरानी पट्टा जारी होने के लगभग 22 वर्षो के पश्चात न्यायालय में पेश की है तथा अधिवक्ता प्रार्थीगण ने निगरानी याचिका न्यायालय में इतने समय पश्चात पेश करने बाबत न तो कोई प्रार्थना पत्र पेश किया, न ही वक्त बहस

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)

अति. जिला कलेक्टर, पाली

कोई युक्तियुक्त कारण पेश किया है। इस संबंध में परिसीमा अधिनियम, 1963 में भी यह अंकन है कि "जहां कोई अन्य आवेदन जिसके लिए इस खण्ड में अन्यत्र कोई परिसीमा काल उपबंधित नहीं है। वहां परिसीमा काल तीन वर्ष होगा।" उपरोक्त तथ्यों से यह स्पष्ट है कि निगरानी याचिका समय–सीमा में पेश नहीं की गई है। इसके साथ ही अधिवक्ता प्रार्थी यह साबित करने में भी असफल रहे है कि जैर निगरानी पट्टे से प्रार्थीगण के हित प्रभावित होते है।

परिणाम स्वरूप प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका सारहीन एवं बलहीन होने से खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति के साथ ग्राम पंचायत का रेकर्ड लौटाया जावे।

(चन्द्रभान सिंह भाटी)
अति. जिला कलक्टर, पाली

निर्णय आज दिनांक 9/3/2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(चन्द्रभान सिंह भाटी)
अति. जिला कलक्टर, पाली